रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022021-225442 CG-DL-E-24022021-225442

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] No. 68] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2021/फाल्गुन 5, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2021/PHALGUNA 5, 1942

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2021

विषय : भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

फा. सं. 13-01/2020-आईसी .—1. पृष्ठभूमि

दूरसंचार क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूरसंचार डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया के लिए एक प्रमुख अवसंरचना और प्रमुख एनेबलर है। उपर्युक्त संदर्भ में भारत में दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन देना वांछनीय और आवश्यक भी है।

2. उद्देश्य

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारत में दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगी। तदनुसार, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लक्षित खण्डों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ताकि "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके

1195 GI/2021 (1)

साथ-साथ इस योजना से यह भी आशा की जाती है कि यह दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्यात में "मेक इन इंडिया" को भी बढ़ावा देगी।

3. लक्षित खंड

इस योजना के तहत भारत में विनिर्दिष्ट दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों का विनिर्माण करने वाली कंपनियों/संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जिसका ब्योरा **अनुबंध -1** पर दिया गया है।

4. प्रात्रता

- 4.1 पात्रता चार वर्षों की अवधि के लिए संचयी इंक्रीमेंटल निवेश की न्यूनतम सीमा प्राप्त करने तथा आधार वर्ष से अतिरिक्त विनिर्मित वस्तुओं की इंक्रीमेंटल बिक्री के निवल करों (ट्रेडिड वस्तुओं से इतर) के अधीन होगी। चार वर्षों हेतु यथानिर्धारित वार्षिक संचयी सीमा को पूरा करने की शर्त के अधीन संचयी निवेश एकमुश्त किया जा सकता है। प्रोत्साहन के वितरण हेतु पात्र होने के लिए आवेदक से शर्तों की सभी न्यूनतम सीमा को पूरा करने की आशा की जाती है। कोई कंपनी/संस्था न्यूनतम इंक्रीमेंटल निवेश तथा बिक्री की सीमा पूरी करने के लिए एक अथवा एक से अधिक पात्र उत्पाद को बनाने में निवेश कर सकती है। इस योजना में वर्ष 2017 के एफडीआई नीति परिपत्र में यथापरिभाषित संविदा आधारित विनिर्माता भी शामिल हैं।
- 4.2 एमएसएमई के लिए ₹ 10 करोड़ तथा अन्य के लिए ₹ 100 करोड़ की न्यूनतम निवेश सीमा होगी। भूमि और भवन की लागत को निवेश में नहीं माना जाएगा।
- 4.3 इस पीएलआई योजना के तहत कोई भी लाभार्थी केंद्र सरकार की किसी भी अन्य पीएलआई योजना के तहत समान उत्पादों के लिए लाभ लेने का पात्र नहीं होगा। हांलािक, उत्पादन आधारित योजना के तहत पात्रता से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों अथवा इसके विपरीत कियान्वित की जा रही दूसरी किसी योजना के तहत पात्रता प्रभावित नहीं होगी।
- 4.4 चूँिक बजटीय परिव्यय की सीमा निर्धारित है, अत: लाभार्थियों की कुल संख्या सीमित होगी तथा यह पारदर्शी तंत्र द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा विभाग द्वारा यह कार्य योजना के दिशा-निर्देशों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को इस प्रोत्साहन हेतु पात्र बनने के लिए अनुबंध-2 में दिए गए कॉलम ग के अनुसार आधार वर्ष से न्यूनतम इंक्रीमेंटल निवल बिक्री के मानदण्ड को पूरा करना होगा। प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी कॉलम घ के अनुसार अथवा अधिकार-प्राप्त सचिव समूह (ईजीओएस) द्वारा यथा-निर्धारित सीमा तक सीमित होगी।

5. आधार वर्ष

वित्त वर्ष 2019-20 को विनिर्मित वस्तु की संचयी इंक्रीमेंटल बिक्री के निवल करों (ट्रेडिड वस्तुओं से इतर) की गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। लाभार्थी विनिर्माताओं के उत्पादन से संबंधित आधारभूत सूचना को आधार वर्ष से संचयी इंक्रीमेंटल उत्पादन का परिमाण निकालने तथा सत्यापित करने के लिए दर्ज किया जाएगा।

6. योजना की अवधि

यह योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। निवेश को वार्षिक अर्हक इंक्रीमेंटल सीमा को पूरा करने की शर्त के अधीन चार साल में किए जाने की अनुमति होगी तथापि, योजना के तहत सहायता पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

7. समीक्षा और निगरानी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित व्यय यथानिर्धारित परिव्यय की सीमा में है, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकार-प्राप्त सचिव समूह (ईजीओएस) पीएलआई योजना की निगरानी करेगा, इस योजना के तहत कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा करेगा और यथा-उपयुक्त कार्रवाई करेगा। दूरसंचार विभाग इस योजना के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगा तथा इसकी अधिसूचना जारी करेगा। अधिकार-प्राप्त सचिव समूह, मंत्रिमंडल के अनुमोदन की सीमा में रहते हुए, वास्तविक रूप से इस योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसके दिशा-निर्देशों में अपेक्षित संशोधन कर सकता है। इस योजना के लिए आवेदकों का चयन दुरसंचार विभाग द्वारा किया जाएगा।

8. प्रोत्साहन परिव्यय

पीएलआई योजना को पांच वर्षों की अवधि में योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 12,195 (केवल बारह हजार एक सौ पंचानवे करोड़ रुपये) करोड़ मात्र की संपूर्ण वित्तीय सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा।

9. लागू प्रोत्साहन

एमएसएमई के लिए लागू प्रोत्साहन प्रतिशत आधार वर्ष से पात्र बिक्री पर पहले एवं दूसरे वर्ष के लिए 7%, तीसरे वर्ष के लिए 6%, चौथे वर्ष के लिए 5% तथा पांचवें वर्ष के लिए 4% है। एमएसएमई से इतर श्रेणी के लिए आधार वर्ष से पात्र बिक्री पर पहले एवं दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे और चौथे वर्ष के लिए 5% तथा पांचवें वर्ष के लिए 4% है। यह प्रोत्साहन वार्षिक निवेश लक्ष्यों को पूरा किए जाने की शर्त के अधीन दिया जाएगा।

10. प्रति कंपनी प्रोत्साहन

प्रति कंपनी प्रोत्साहन विनिर्मित तैयार वस्तुओं के निवल बिक्री करों, छूट, कमीशन आदि (बेची गई वस्तुओं से इतर) के आधार पर उपर्युक्त पैरा 4.4 (अथवा अधिकार-प्राप्त सचिव समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार) में दी गई सारणी में दर्शाई सीमा के अनुसार अथवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय तथा कंपनी द्वारा संचयी निवेश मापदंड को पूरा करने के आधार पर होगा। प्रत्येक आवेदक के लिए इस प्रकार का कुल संभावित प्रोत्साहन आवेदन के समय कुल प्रतिबद्ध निवेश के आधार पर निर्धारित होगा। इसे आवेदक को अनुमोदन स्तर पर सूचित किया जाएगा।

राजेश कुमार पाठक, उप महानिदेशक (आईसी)

अनुबंध-1

निर्धारित दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की सूची

क्र.सं.	वस्तुओं का ब्यौरा		
1	कोर ट्रांसिमशन उपकरण		
	डेन्स वेबलेंथ डिविजन मल्टी-प्लेक्सिंग (डीडब्ल्यूडीएम), ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन), मल्टी सर्विस प्रोविजिनंग प्लेटफार्म (एमएसपीपी), सिन्क्रोनस डिजिटल हायरार्की (एसडीएच), पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (पीटीएन) /मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस), गीगाबीट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्कस (जीपीओएन) /नेक्सट जेनेरेशन-पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (एनजी-पीओएन) ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी), डिजिटल माइक्रोवेब रेडियो		
2	4जी/5जी, नेक्स्ट जेनेरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस इक्विप्मेन्ट		
	4जी/लांग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), बेस स्टेशन एवं कोर इक्विप्मेन्ट; 5जी आरएएन बेस स्टेशन एवं कोर इक्विप्मेन्ट; एज एंड इंटरप्राइज इक्विप्मेन्ट; वायरलेस टेलीकम्यूनिकेशन्स इक्विप्मेन्ट इन एक्सेस एंड बैकहॉल		
3	एक्सेस एंड कस्टमर परिमाइसेज इक्विप्मेंट (सीपीई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) एक्सेस डिवाइसेज और अन्य वायरलेस इक्विप्मेंट		
	यूनिफाइड कम्यूनिकेशन्स प्लेटफॉर्मस, आईपी मल्टीमीडिया सबिसस्टम, सॉफ्ट स्विच, जीपीओएन ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी), वायरलेस फीडेलिटी (वाई-फाई) एक्सेस प्वाइंट एंड कन्ट्रोलर, एलटीई सीपीई, 5जी सीपीई, शॉर्ट रेंज डिवाइसेज और 4जी/5जी/फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) इत्यादि जैसे नए प्रौद्योगिकियों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स		
4	इंटरप्राइज इक्विप्मेंट: स्विचेज, राउटर्स		
	स्विचेस, राउटर्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) और पैकेट स्विचिंग और राउटिंग ऐपरैटस		
5	कोई अन्य उत्पाद – अधिकार-प्राप्त सचिव समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार।		

<u>अनुबंध-2</u>

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पात्रता सीमा मानदण्ड

वर्ष	इंक्रीमेंटल बिक्री पर प्रस्तावित प्रोत्साहन दर	संचयी इंक्रीमेंटल निवेश (भूमि और भवन को छोड़ कर)	आधार वर्ष से न्यूनतम इंक्रीमेंटल बिक्री (करों को छोड़कर)	आधार वर्ष से अधिकतम बिक्री (करों को छोड़कर)		
	(क)	(ख)	(ग)	(ঘ)		
	एमएसएमई- न्यूनतम निवेश सीमा - ₹ 10 करोड़					
1	7%	X का 20% के बराबर अथवा उससे अधिक	3*(X का 20%)	20*(X का 20%)		
2	7%	X का 40% के बराबर अथवा उससे अधिक	3*(X का 40%)	20*(X का 40%)		
3	6%	X का 70% के बराबर अथवा उससे अधिक	3*(X का 70%)	20*(X का 70%)		
4	5%	X के बराबर अथवा उससे अधिक	3*X	20*X		
5	4%		3*X	20*X		
	एमएसएमई से इतर- न्यूनतम निवेश सीमा – ₹ 100 करोड़					
1	6%	X का 20% के बराबर अथवा उससे अधिक	3*(X का 20%)	20*(X का 20%)		
2	6%	X का 40% के बराबर अथवा उससे अधिक	3*(X का 40%)	20*(X का 40%)		
3	5%	X का 70% के बराबर अथवा उससे अधिक	3*(X का 70%)	20*(X का 70%)		
4	5%	X के बराबर अथवा उससे अधिक	3*X	20*X		
5	4%		3*X	20*X		

जहां X = वर्ष 2021-22 से प्रारंभ होकर 4 वर्षों में किसी कंपनी/संस्था द्वारा प्रतिबद्ध कुल निवेश (एमएसएमई के लिए ₹ 10 करोड़ तथा अन्य के लिए ₹ 100 करोड़ की न्यूनतम निवेश सीमा)

एमएसएमई= सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम जैसा कि भारत सरकार यथा- परिभाषित

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2021

SUBJECT: PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME TO PROMOTE TELECOM AND NETWORKING PRODUCTS MANUFACTURING IN INDIA

F. No. 13-01/2020-IC.—1. Background

The Telecommunication sector has a pivotal role in facilitating the growth of economy. Telecom is key infrastructure and a key enabler of digital connectivity and Digital India. In the above context, it is necessary and desirable to incentivise manufacturing of Telecom Products in India.

2. Objectives

The Production Linked Incentive (PLI) Scheme will promote Telecom and Networking Products manufacturing in India. Accordingly, a financial incentive is proposed to boost domestic manufacturing and attract investments in the target segments of telecom and networking products in order to encourage "Make in India". The Scheme is also expected to boost export of telecom and networking products "Made in India".

3. Target Segments

Support under the Scheme will be provided to companies/entities engaged in manufacturing of specified telecom and networking products in India as listed in **Annexure-1**.

4. Eligibility

- 4.1 Eligibility will be subject to achievement of a minimum threshold of cumulative incremental investment over a period of four years and incremental sales of manufactured goods net of taxes (as distinct from traded goods) over the Base Year. The cumulative investment can be made at one go, subject to annual cumulative threshold as prescribed for four years being met. An applicant is expected to meet all the minimum threshold conditions to be eligible for disbursement of incentive. The Company/entity may invest in single or multiple eligible products to meet minimum incremental investment and sales threshold. The Scheme will also include contract manufacturers as defined in the FDI Policy Circular of 2017.
- 4.2 There will be a minimum investment threshold of ₹ 10 Crores for MSME and ₹ 100 Crores for others. Land and building cost will not be counted as investment.
- 4.3 Any beneficiary under this PLI Scheme will not be eligible to take benefit for the same products under any other PLI Scheme of Central Government. However, eligibility under PLI Scheme will not affect eligibility under any other Scheme being implemented by State/UT Governments and vice-versa.
- 4.4 Total number of beneficiaries will be limited owing to the fixed ceiling of the budgetary outlay. The beneficiaries will be decided through a transparent mechanism, to be finalized by the Competent Authority as per the Scheme Guidelines. Each beneficiary will have to meet the minimum incremental net sales criteria over the Base Year, as per column C of the table given in Annexure-2, to become eligible for the incentive. The amount of incentive given to each beneficiary will also be capped with a ceiling as per column D of the table or as decided by the Empowered Group of Secretaries (EGoS).

5. Base Year

Financial Year 2019-20 shall be treated as the Base Year for computation of cumulative incremental sales of manufactured goods net of taxes (as distinct from traded goods). Baseline information pertaining to production of beneficiary manufacturers will be captured to deduce and verify the cumulative incremental production over the base year.

6. Tenure of the Scheme

The scheme will be effective from 1st April, 2021. The investment will be permitted to be made in four years, subject to qualifying incremental annual thresholds, the support under the Scheme shall be provided for a period of five (5) years.

7. Review and Monitoring

Empowered Group of Secretaries (EGoS) chaired by Cabinet Secretary will monitor the PLI Scheme, undertake periodic review of the outgo under the Scheme, and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. The Department of Telecommunications will finalize and notify the Scheme Guidelines. EGoS, within, the contours of Cabinet approval, can carry out any amendments in the Scheme Guidelines to ensure successful implementation on ground. Selection of the applicants to the Scheme will be done by the Department of Telecommunications.

8. Incentive Outlay

The PLI Scheme will be implemented within the overall financial limits of ₹ 12,195 Crores only (Rupees Twelve Thousand One Hundred and Ninety-Five Crore only) for implementation of the Scheme over a period of 5 years.

9. Applicable Incentives

The applicable incentive percentage for MSMEs will be 7% for Year 1 & Year 2, 6% for Year 3, 5% for Year 4 and 4% for year 5 on eligible sales over the base year. For category other than MSME, the applicable incentive percentage will be 6% for Year 1 & 2, 5% for Year 3 & 4 and 4% for year 5 on eligible sales over the base year. The incentive will be given subject to annual investment targets having been met.

10. Incentive per Company

The incentive per company will be applicable on sales of manufactured finished goods net of taxes, discounts, commissions etc. (as distinct from traded goods) subject to ceilings as indicated in the table at para 4.4 above (or as decided by the EGoS from time to time) and the company meeting the cumulative investment criteria as well. Total possible incentive for each applicant will be capped based on total investment committed at the time of application. This will be informed to the applicant at approval stage.

RAJESH KUMAR PATHAK, Dy. Director General (IC)

Annexure-1

List of Specified Telecom and Networking Products

S. No.	Description of Goods		
1	Core Transmission Equipment		
	Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), Optical Transport Network (OTN), Multi Service Provisioning Platform (MSPP), Synchronous Digital Hierarchy (SDH), Packet Transport Network (PTN)/ Multi-Protocol Label Switching (MPLS), Gigabit Passive Optical Networks (GPON)/ Next Generation- Passive Optical Network (NG-PON) Optical Line Terminal (OLT), Digital Microwave Radio		
2	4G/5G, Next Generation Radio Access Network and Wireless Equipment		
	4G/ Long Term Evolution (LTE)Radio Access Network (RAN) Base Station & Core Equipment; 5G RAN Base Station & Core Equipment; Edge and Enterprise Equipment; Wireless Telecommunication Equipment in Access and Backhaul		
3	Access & Customer Premises Equipment (CPE), Internet of Things (IoT) Access Devices and Other Wireless Equipment		
	Unified Communications Platforms, IP Multimedia Subsystem, Soft Switch, GPON Optical Network Terminal (ONT), Wireless Fidelity (Wi-Fi) Access Point and Controller, LTE CPE, 5G CPE, Short Range Devices and Associated Electronics in new technologies like 4G/5G/Fibre To The Home (FTTH) etc.		

S. No.	Description of Goods
4	Enterprise equipment: Switches, Routers
	Switches, Routers, Internet protocol (IP) and Packet Switching and Routing Apparatus
5	Any Other Product- As decided by the EGoS

Annexure-2
Eligibility Threshold Criteria for Telecom and Networking Products

Year	Proposed Incentive Rate on incremental sales	Cumulative Investment (other than land and building)	Minimum Incremental Sales of Manufactured Goods Net of Taxes over the Base Year	Maximum Eligible Sales of Manufactured Goods Net of Taxes over the Base year				
	(A)	(B)	(C)	(D)				
	MSMEs- Minimum Threshold of Investment ₹ 10 Crores							
1	7%	Greater than or equal to 20% of X	3*(20% of X)	20*(20% of X)				
2	7%	Greater than or equal to 40% of X	3*(40% of X)	20*(40% of X)				
3	6%	Greater than or equal to 70% of X	3*(70% of X)	20*(70% of X)				
4	5%	Greater than or equal to X	3*X	20*X				
5	4%		3*X	20*X				
	Other than MSM	AEs- Minimum Threshold o	f Investment ₹ 100 Cı	rores				
1	6%	Greater than or equal to 20% of X	3*(20% of X)	20*(20% of X)				
2	6%	Greater than or equal to 40% of X	3*(40% of X)	20* (40% of X)				
3	5%	Greater than or equal to 70% of X	3*(70% of X)	20* (70% of X)				
4	5%	Greater than or equal to X	3*X	20*X				
5	4%		3*X	20*X				

Where X = Committed Total Investment by the Company / entity over a period of four years starting from year 2021-22 (minimum $\stackrel{?}{\underset{?}{\sim}}$ 10 Crores for MSMEs and $\stackrel{?}{\underset{?}{\sim}}$ 100 Crores for others)

MSMEs = Micro, Small and Medium Enterprises as defined by the Government of India.